संख्याः 856 /XI/2018/ 56(25)2017

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 19 अप्रैल, 2018

विषयः– केन्द्र सहायतित योजना "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रथम त्रैमास की प्रथम किश्त हेतु स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं J-11060/11/2018-MGNREGA(RE-III) Sl.No.18 दिनांकः 09.04.2018, परियोजना समन्वयक, राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, के पत्र संख्या 36/दिनांक 10.04.2018 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/दिनांक 02.04.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित केन्द्र सहायतित योजना **"राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना"** के सुचारू क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई केन्द्रांश (75%) की धनराशि रू0 **4995.64 लाख (रू0 उन्नचास करोड़ पिचानब्बे लाख चौसठ हजार मात्र)** वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखते हुए नियमानुसार व्यय किये **जाने** की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि "उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी संस्था" के भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं0 **31937845478 IFSC CODE- SBIN0010164** CIF सं0 86136642582 शाखा कोड 10164 में हस्तान्तरित कर आहरित की जाएगी।
2. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन एवं व्यय संबंधित आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा संबंधित जनपद हेतु नियमानुसार किया जायेगा।
3. धनराशि का आवंटन नियमानुसार निर्धारित अनुपातिक आधार पर एवं संबंधित योजना हेतु नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ही किया जायेगा।
4. प्रश्नगत धनराशि उन्ही कार्यो/प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है, किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।
5. उक्त योजना की धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा बजट मैन्युवल, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 व वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों/आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
6. उक्त धनराशि को स्वीकृत एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं मानकों का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
7. उक्त योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु नियमानुसार दिये जा रहे अंश का व्यय उन्हीं जातियों के कल्याणार्थ कराये जा रहे कार्यों एवं नियमानुसार मानकों के आधार पर ही किया जायेगा।

8. स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग दिनॉक 31.03.2018 तक करते हुए अवशेष अप्रयुक्त धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
10. उक्त परियोजना में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर सम्बन्धित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।
11. योजना की भौतिक वित्तीय प्रगति में सुधार हेतु लगातार प्रयास किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में **अनुदान संख्या–19** के लेखा शीर्षक 2505–ग्रामीण रोजगार–02–ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनाऐं–101–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–01–मनरेगा–42 अन्य व्यय से रू0 **3846.6428 लाख, अनुदान संख्या–30**के लेखा शीर्षक 2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम–003–प्रशिक्षण–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–05–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता से **रू0 949.1716 लाख** तथा **अनुदान संख्या–31** के लेखा शीर्षक 2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0106–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना–42 अन्य व्यय से **रू0 199.8256 लाख** वहन किया जायेगा तथा उपरोक्त सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश **वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्याः 183/XXVII–1/2012 दिनांकः 28 मार्च, 2012** के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर S1804190228, S1804300229 एवं S1804310232 दिनांक 17.04.2018 जेनरेट कर जारी किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

**संलग्नक–यथोपरि।**

भवदीय,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्याः /2018/56(25)2017 तद्दिनॉक।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1.महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2.महालेखाकार, (ए.एण्ड.ई.), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. निदेशक (मनरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. परियोजना समन्वयक, राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. अनु सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव

बजट आवंटन वितीय वर्ष - 20182019

Secretary, Rural Development (S041)

आवंटन पत्र संख्या - 856 XI/18/56(25)2017

अलोटमेंट आई डी - S1804300229

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक -17-Apr-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

1: लेखा शीर्षक 2501 - ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

003 - प्रशिक्षण

05 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (2501

01 - समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ

Non Plan Voted

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज | 0 | 94917160 | 94917160 |
| | **0** | **94917160** | **94917160** |

आवंटन पत्र संख्या - 856 XI/18/56(25)2017

अलोटमेंट आई डी - S1804190228

अनुदान संख्या - 019

आवंटन पत्र दिनांक -17-Apr-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

2: लेखा शीर्षक 2505 - ग्रामीण रोजगार

101 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

01 - मनरेगा (2501018000110 से स्थानान्तरित)

02 - ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनाएँ

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

Non Plan Voted

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 42 - अन्य व्यय | 0 | 384664280 | 384664280 |
| | **0** | **384664280** | **384664280** |

आवंटन पत्र संख्या - 856 XI/18/56(25)2017

अलोटमेंट आई डी - S1804310232

अनुदान संख्या - 031

आवंटन पत्र दिनांक -17-Apr-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

3: लेखा शीर्षक 2501 - ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

796 - जनजाति क्षेत्र उपयोजना

06 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (75 प्रत

01 - समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

Non Plan Voted

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 42 - अन्य व्यय | 0 | 19982560 | 19982560 |
| | **0** | **19982560** | **19982560** |

**Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 499564000**

३